ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-8* September- 2017
Innovation The Research Concept

राजस्थान में जनजाति विकास का सामाजिक आर्थिक अध्ययन (प्रतापगढ़ जिले के विशेष सन्दर्भ में)

धर्मेन्द्र कुमार खटीक
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

सारांश

सामाजिक आर्थिक विकास एक विस्तृत संकल्पना है जो किसी इकाई क्षेत्र मे उत्पादन एवं उपभोक्ता तक भी सीमित नहीं है अपितु संसाधनो के न्याय संगत वितरण एव जीवन की गुणवता से जुड़ी हुई है। सामाजिक सुविधाओं का विकास ग्रामीण लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन में सुधार करता है क्योंकि भारत मे दो तिहाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है। समाजशास्त्र में सामाजिक विकास को मानव के आपसी संबंधो के विकास के रूप मे परिभाषित किया जाता है। व्यवहारिक रूप में सामाजिक विकास से प्रादेशिक विकास ही मापन की एक विधि है। प्रादेशिक विकास के तत्वों मे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन एवं संचार विद्युत आपूर्ति आदि शामिल है। ये तत्व सामाजिक व्यवस्था के कार्यो की किस्म आर्थिक कल्याण की क्षमता नीतियों के बारे में विचार और व्यक्तियों के व्यवहार के तरीकों के रूप में प्रतिबिम्वित होते हैं। इसी दृष्टि से सामाजिक विकास को परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। इसी संदर्भ में 5 वीं पर्यावरण योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की उदयपुर में स्थापना की गई।

मुख्य शब्द : सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या

प्रस्तावना

प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33 वाँ जिला बना था। इसको चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिलों की 5 तहसीलों को सम्मिलित किया गया हैं। जिसमें प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी, अरनोद, पीपलखूँट, धरियाबाद तहसील हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 411736 हैक्टेयर है। इसका भौगोलिक विस्तार $24^0 03'$ उत्तर और $74^0 78'$ पूर्वी देशान्तर है। यह क्षेत्र जनजाति बहुल है। प्रतापगढ़ के उत्तर पश्चिम में उदयपुर, उत्तर में चित्तौड़गढ़, पूर्व में मध्यप्रदेश, दक्षिण –पश्चिम में बांसवाड़ा तथा डूँगरपुर जिले है।

प्रतापगढ़ राजस्थान की रियासतों में अपने गौरव एवं प्रसिद्ध स्वाभिमान के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। प्रारम्भ में प्रतापगढ़ राज्य देवलिया (देवगढ़) राज्य कहलाता था। प्रतापगढ़ रियासत का क्षेत्र माहीनदी के कांठे (किनारे) पर स्थित होने के कारण कांठल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारम्भ में प्रतापगढ़ राज्य की गणना मालवा के अंतर्गत की जाती थी। इस जिले की जलवायु मालवा के समान है और सामान्यतः स्वास्थ्यप्रद है। मई जून और अक्टूबर महिनों में सर्वत्र विशेष गर्मी पड़ती है, किन्तु यहां पहाडियाँ होने से अन्य स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रहती है। शीतकाल में सर्दी अधिक पडती है। यहाँ वर्षा का औसत 100 सेमी. के करीब है।

शोध पत्र का उद्देश्य

जिले में विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं का सामाजिक आर्थिक उत्थान की समीक्षा करना।

शोध विधि

विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा सरकारी रिपोर्टो का समालोचनात्मक अध्ययन।

1. अनुसूचित क्षेत्र का सर्वागीण विकास
2. जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास
3. जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय नियंत्रण एवं निर्देशन

4. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

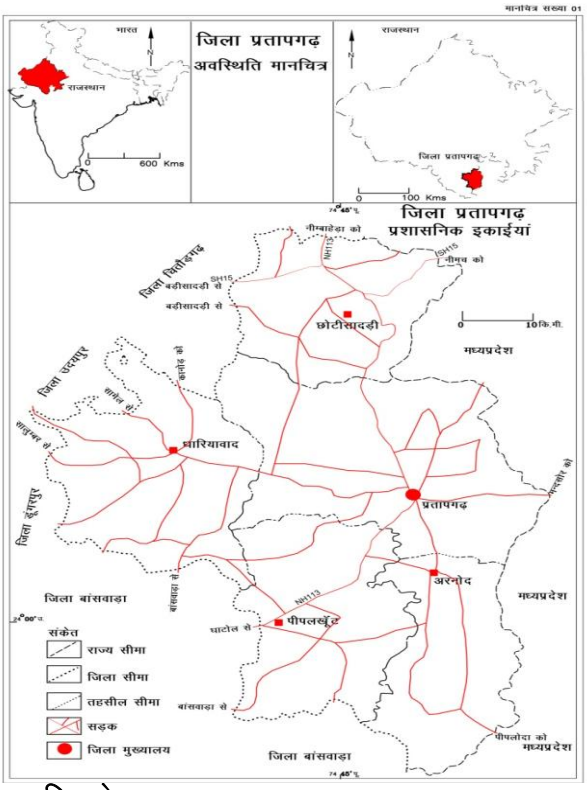

अनुसूचित क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत् 12 फरवरी 1981 को अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981 जारी किये है। इस आदेश द्वारा राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 34 तहसीलों के 5034 गांवों एवं 6 नगरपालिका क्षेत्रों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है। जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 – 2017 के लिए अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार कर इसे 8 जिलो यथा– बाँसवाडा, डूँगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ, सिरोही, चितौडगढ, राजसंमद एवं पाली की 44 तहसीलों के 5705 गांवों एवं 9 नगरपालिका क्षेत्रों तक करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 57.24 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या41. 88लाख हैं इस क्षेत्र की जनसंख्या का लगभग 73.17 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। अनुसूचित क्षेत्र में बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ के जिले तो पूर्णरूप से शामिल है। तथा शेष जिलों के कुछ भाग शामिल है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2013 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।

माडा (Mada) क्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक ईकाई मानते है। प्रत्येक लघुखण्ड जिसकी कुल जनसंख्या 10000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या कम से कम 50 प्रतिशत हो, को माडा क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें मीणा जनजाति का बाहुल्य है। इसके तहत 18 जिलों में 44 माडा लघु शोध खण्डों का गठन किया गया है।

माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक या बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड, अजमेर, राजसंमद, भरतपुर व सवाई माधोपुर में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है।

सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के क्षेत्र जिसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र कहलाता है।

जनजाति के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं व आयोग

अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद

इस परिषद का गठन दिनांक 27.8.10 को जारी आदेश से किया गया है। इसके गठन का उद्देश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा राज्य की जनजातियों के कल्याण व उन्नति से संबंधित नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है।

माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर

जनजाति विकास के पंचशील सिद्धान्तों को लागू करने व इस क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण और परामर्श सेवाओं के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इसके 4 प्रकोष्ठ है – (1) मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (2) शोध प्रकोष्ठ (3) कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ (4) पुस्तकालय एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ यह प्रकोष्ठ मासिक पत्रिका ट्राइब का प्रकाशन करता है।

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ (राजसंघ)

आदिवासियों को बिचौलियों, व्यापारियों तथा साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हे उचित दर पर कृषि आदान तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं सुलभ कराने, उनके द्वारा उत्पादित माल और संकलित वन उपज का समुचित मूल्य दिलवाने और आर्थिक संसाधनों के लिए व्यक्तिगत अथवा समिति के रूप में बैकों से ऋण दिलवाने के लिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 27 मार्च 1976 को राजस्थान सहकारी अधिनियम के अधीन की गई। इस संघ का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 23 और सहरिया क्षेत्र की 2 पंचायत उनकी उघु वन उपज का वितरण एवं कृषि आदानों तथा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कार्य करता है। संघ द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही है। (1) 5 जिलों में जनजाति स्वरोजगार योजना, (2) 4 जिलों में समंकित मत्स्य विकास परियोजना, (3) मत्स्य बीज पालन योजना, (4) लाईवली हुड मत्स्य विकास कार्यक्रम, (5) मत्स्य प्रशिक्षण।

अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम)

अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु 28 फरवरी, 1980 को अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई जिसके नाम को 24 सितम्बर, 1993 को संशोधित को संशोधित कर अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल किया गया है।

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग

राज्य की अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के समाधान व इन वर्गो के आर्थिक शैक्षिणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की मोनिटरिंग, उत्थान एवं आवश्यक उपाय सुझाने हेतु 19 मार्च, 2001 को जारी अधिसूचना द्वारा इस आयोग का गठन किया गया।

जनजाति विकास की योजनाएं

बालिका खेल छात्रावास

बजट घोषणा 2015 – 16 के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, एवं आबू रोड में संचालित 4 आश्रम छात्रावासों को बालिका खेल छात्रावासों में परिवर्तित कर दिया गया है। एवं प्रतापगढ में नया बालिका खेल छात्रावास खोला गया है। इन पांचों छात्रावासों में 50 – 50 बालिकाओं को प्रवेश देकर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कोच का पदस्थापन कर दिया गया है।

बहुउद्देश्य छात्रावास

अनुसूचित क्षेत्र की बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने हेतु उदयपुर एवं कोटा में बहुउद्देशीय कन्या छात्रावास प्रारम्भ किये गये है।

नवीन एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल

पाडोला (बांसवाडा) एवं राणौली (करौली) में नवीन सहरिया एकलव्य मॉडल रेंजीडेशियल स्कूल व छात्रावास प्रारम्भ किये गये है।

लघुवन उपज विशिष्ट मण्डी की स्थापना

लघुवन उपजों क विपणन को सुविधाजनक बनाने हेतु उदयपुर में राज्य की प्रथम लघुवन उपज विशिष्ट मण्डी स्थापित की जा रही है।

इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में वन उपजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने हेतु परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

तीरन्दाजी अकादमी की स्थापना

जनजाति बालकों को तीरन्दाजी का समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उदयपुर के खेल गांव में वर्ष 2015 –16 में तीरन्दाजी एकेडमी प्रारम्भ की गई है।

स्वच्छ परियोजना (स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना) उदयपुर

यह योजना जनजाति क्षेत्रों में 1996 तक सीडा (स्वीडन) एवं यूनिसेफ की सहायता से चलाई गई थी। इसके बाद से राज्य सरकार ने इसे एक स्वयं सेवी संस्था स्वच्छ (गैर सरकारी) के रूप में पंजीकृत कराकर चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत निम्न योजनाएं संचालित है – (1) स्वास्थ्यकर्मी योजना (2) मां – बांडी केन्द्रो का संचालन (3) कथौडी विकास कार्यक्रम (4) कथौडी आवास निर्माण (5) आवास निर्माण (6) खेल छात्रावास सुविधा (7) जलोत्थान सिंचाई योजना (8) सामुदायिक भवन निर्माण।

प्रथम राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलखूद प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2015 –2016 में किया गया।

अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना (एस टी पी योजना)

इस योजना में राजस संघ द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु बैंको से ऋण दिलवाकर आर्थिक सहायता दी जाती है। तथा अनुदान राशि दी जाती है। अनुदान सामान्यतः इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000 रूपये की राशि दोनों में से जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 5 जिलों – उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ व सिरोही (आबूरोड) में प्रारम्भ की गई है।

सेरी कल्चर कार्यक्रम

क्षेत्र के जनजाति कृषकों के लाभार्थ रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर कार्यक्रम उदयपुर जिले में चलाया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति व परमपरागत वनवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वनों में रहने वाली जनजातियों को वन अधिकारों एवं वन भूमि में अधिभाग को कानूनी मान्यता प्रदान करने हेतु यह अधिनियम 31 दिसम्बर, 2007 से लागू किया गया है। इसके बाद इन क्षेत्रों में वनाधिकार ग्राम समितियों का गठन किया गया है।

एकलव्य बालक खेल छात्रावास

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 6 – 12 तक के जनजाति छात्रों को खेल कूद हेतु प्रोत्साहित जयपुर द्वारा राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र निम्न तीन स्थानों बांसवाडा जिले की तलवाडा पंचायत समिति के लोधा ग्राम, खेरवाडा (उदयपुर) एवं सरदारपुरा (गिर्वा) उदयपुर शहर में एकलव्य खेल छात्रावास संचालित है। इनमें तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही तीजवड (डूंगरपुर) सिरोही व प्रतापगढ सहित कुल 12 खेल छात्रावास संचालित है।

अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरियां क्षेत्र की 9 से 12 कक्षा की छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना

सरकार द्वारा जनजातीय परिवारों की बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति एवं सहरियां परिवारों की 9 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाती है।

निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

जो जनजाति छात्राएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करती है। उन्हें सरकार द्वारा उन्हे निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है। जिस छात्रा ने कक्षा 10 वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है तथा 12 वीं कक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करती है। उसे स्नातक प्रथम वर्ष में 20000 तथा स्नातक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में 10,000 – 10,000 रूपये की नकद राशि दी जाती है।

सहरिया विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम बांरा जिले की किशनगंज तथा शाहबाद तहसीलों में लागू है।

सहरिया आदिम जाति के लिये विशेष प्रावधान

सहरिया आदिम जनजाति समूह के लिए विशेष प्रावधान स्वरूप आदेश दिनांक 12.9.2007 द्वारा बांरा जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

मां बाडी योजना व डे केयर सेंटर

बारां जिले की शाहबाद व किशनगढ पंचायत समिति की सहरिया जनजाति एवं उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाडा प्रतापगढ सिरोही की सभी जनजातियों के बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोडने व स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रांरभ योजना। वर्ष 2013 – 14 से मां बाडी डे केयर सेंटर भी प्रारंभ किये गये है। इन डे केयर सेन्टरो पर जनजाति परिवारों के बच्चों को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजें तक रखकर पढ़ाई के साथ साथ घर जैसा माहौल उपलब्ध करवाया जाता है। एवं कक्षा 1 से 4 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में 839 डे केयर सेंटर व 620 मां – बाडी केन्द्र संचालित है।

सहरिया वनों की और योजना :

सहरिया आदिवासियों को वनों से पुनः जोडने हेतु बनाई गई योजना जिसमें वन क्षेत्र में सहरिया मजदूर 100 दिनो के लिए काम कर चारदीवारियों का निर्माण करेंगे।

परिवर्तित क्षेत्र विकास दुष्टिकोण

(MADA : Modified Area Development Approach) वर्ष 1978 – 79 से यह कार्य क्रम राज्य के 13 जिलों – अलवर, धौलपुर, भीलवाडा, बूंदी चितौडगढ, उदयपुर, झालावाड, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही टोंक व जयपुर के जनजाति लोगों के विकास हेतु शुरू किया गया था अब इसे 18 जिलों के 44 माडा लघु खण्डों में चलाया जा रहा है।

प्रतिभावना छात्रों को प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के छात्र छात्राओं ने जिन्होने बोर्ड अथवा विश्व विद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। उन्हे बोर्ड की अगली परीक्षा तक

अध्ययन करने पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए अधिकतम 3500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 1994 – 95 में प्रारंभ की गई योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है। जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हो और अध्ययनरत हो। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 500 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12)

जनजाति की छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है। जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हो और कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत हो। इस योजनानुसार 350 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है।।

24 जनजाति ग्रामों का समग्र विकास

इस योजना के अंतगर्त अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाडा के 24 गांवो के समग्र विकास हेतु एक योजना का सृजन किया गया। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक कृषि विकास, पशुपालन, सिंचाई व आय सृजन से संबंधित गतिविधियां जनजाति परिवारों की आर्थिक हालत में सुधार किया जा रहा है।

कथौडी समग्र विकास योजना

कथौडी समुदाय के समग्र विकास हेतु यह तीन वर्षीय योजना तैयार की गई है।

आदिवासी बलिदान दिवस

मानगढ धाम पर 17 नवम्बर 1913 को हुए भीषण हत्याकांड की स्मृति मं 17 नवम्बर को यह दिवस मनाया जाता है।

आवासीय विद्यालय

अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु निम्न आवासीय विद्यालय संचालित है।

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय

1. उदयपुर – कोटडा (बालक) , सलूम्बर (बालिका), खैरवाडा (बालक)
2. बांसवाडा – कुशलगढ (बालक), घाटोल (बालक)
3. डूंगरपुर – सीमलवाडा (बालक) सागवाड़ा (बालिका)
4. प्रतापगढ – प्रतापगढ (बालक), प्रतापगढ (बालिका)
5. सिरोही – आबूरोड (बालक)

सहरिया क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय

बारां – शाहबाद (बालक), शाहबाद (बालिका), किशनगंज (बालिका), रामगढ (बालिका)।

माडा क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय

1. टोंक – निवाई (बालिका)
2. झालावाड – झालारापाटन (बालक)
3. दौसा – नया गांव महुआ (बालक)।

मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल

1. डूंगरपुर – सूरपुर (डूंगरपुर), (बालक)
2. उदयपुर – ढीकली (गिर्वा), (बालिका)

गुणात्मक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्न 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल निर्माणाधीन है।

1. बरनाला, सवाई माधोपुर
2. बिहारीपुरा, बस्सी जयपुर
3. मल्लाना, अलवर
4. रानोली, करौली।
5. बागीदौरा, बांसवाडा।
6. आसपुर, डूंगरपुर।

निष्कर्ष

विशिष्ट संस्कृति रीति रिवाजों के साथ आधुनिकता का प्रभाव पड रहा है। खुशी सूचकांक से तुलना करने पर इनमें खुशी का स्तर अच्छा पाया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सरकारी व निजी प्रयासों तथा वैश्वीकरण से जनजातियों का सामाजिक विकास हुआ है। विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं प्रयासों जनजाति समाज में सामाजिक आर्थिक उत्थान हो रहा है तथा इनकी सामाजिक संस्कृति आधुनिकता से प्रभावित हो रही हैं एवं इनका आर्थिक उत्थान हो रहा हैं जनजाति समाज के लोग विभिन्न सकारी उच्च पदों पर पहुंचने लगें हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *व्यास, एन.एन. (1989): बाउन्डेज एण्ड एक्सप्लोइटेशन इन ट्राइबल इण्डिया, रावत पब्लिकेशन दिल्ली।*
2. *कलवार एस.सी. 1994 :सामाजिक आर्थिक भूगोल, पोयनटर पब्लिसर्स, जयपुर*
3. *विनित चौधरी (2001): शेखावाटी का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, (1850–1950 ई.) प्रकाशति पी.एच.डी. थीसिस राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।*
4. *मीणा दारा सिंह (2006):पूर्वी राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति करौली व सवाईमाधोपुर के जनजाति बाहुल जिलों के संदर्भ में (1850 से 1950 ई.) इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग रा.वि.वि. जयपुर।*
5. *ममता सिद्धार्थ (2009) शेखावाटी के अधिवास प्रारूप पर आर्थिक विकास का प्रभाव प्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।*
6. *मीणा विजय सिंह (2009):राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास उदयपुर जिले का भौगोलिक अध्ययन, पीएच.डी. थीसिस, भूगोल विभाग, रा.वि.वि., जयपुर*
7. *Kothari CR., (1986) Research Methodolgy. Methods and Techniques willey Estern limited New Delhi.*
8. *Pal, M.N. 1975 regional disparities in the level of development in India. India Journal of Regional Sciences, 1(8): 35-52.*